



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 677]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 26, 2016/आश्विन 4, 1938

No. 677]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 26, 2016/ASVINA 4, 1938

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

प्रारूप अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 915(अ).—केन्द्रीय सरकार बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का 21) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोनस संदाय अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने के प्रस्ताव हेतु बोनस संदाय (संशोधन) नियम, 2016 का निम्नलिखित प्रारूप उक्त धारा 38 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित उससे संभवतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद यह नोटिस दी जाती है कि प्रस्तावित नियम के उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के प्रकाशित होने वाले सरकारी राजपत्र की प्रतियां साधारण जनता के उपलब्ध करा दिए जाने की तारीख से 30 दिन की अवधि पूरा होने तक विचार किया जाएगा;

इस संबंध में आपत्तियों या सुझावों को सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को संबोधित किया जाएगा;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में पूर्वोक्त अवधि के भीतर किसी व्यक्ति या संगठन से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बोनस संदाय (संशोधन) नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- बोनस संदाय नियम, 1975 में, नियम 5 में उपनियम (1) में, परंतुक लोप किया जाएगा।

[फा. सं. जैड-16016/1/2014-डब्ल्यूबी]

पी. पी. मित्रा, प्रधान श्रम और रोजगार सलाहकार

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में सा.का.नि. 2367, तारीख सितंबर, 1995 के अधीन और पिछली बार सा.का.नि.784(अ), तारीख 12 नवम्बर, 2014 के द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

DRAFT NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2016

G.S.R. 915(E).—The following draft of the Payment of Bonus (Amendment) Rules, 2016, further to amend the Payment of Bonus Rules, 1975, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 38 of the Payment of Bonus Act, 1965 (21 of 1965), is hereby published, as required by sub-section (1) of the said section 38, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of the proposed rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette, in which this notification is published, are made available to the public;

The objections or suggestions shall be addressed to the Secretary, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110 001;

Objections or suggestions, which may be received from any person or organisation with respect to the said draft rules within the aforesaid period, will be considered by Central Government.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Payment of Bonus (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Payment of Bonus Rules, 1975, in rule 5, in sub-rule (1), the proviso shall be omitted.

[F. No. Z.16016/1/2014-WB]

P. P. MITRA, Principal Labour and Employment Adviser

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 2367, dated the 6th September, 1975 and lastly amended vide G.S.R.784(E), dated the 10th November, 2014.